Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2585280
Web: www.kanpuruniversity.org
e-mail I.D.-coe@kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2581280	2584280
REGI.:	2580044	2580281
Office :		

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / COE / 459 / 2020

दिनांक : 31 /08/2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषयः—विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 सी.एस.जे.एम.वि.वि. / COE / 443 / 2020 दिनांक 26—08—2020 में वर्णित दिशा—निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं की परीक्षा कराये जाने / प्रमोट किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कि कोविड—19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के स्नातक / परास्नातक / सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को प्रमोट किये जाने अथवा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्मित दिशा—निर्देश / नियमावली का अनुमोदन परीक्षा समिति तथा कार्य परिषद द्वारा किया जा चुका है। तत्क्रम में कार्यालय—ज्ञाप सं0—सी.एस.जे.एम.वि.वि. / COE / 443 / 2020, दिनांक 26—08—2020 की छायाप्रति सूचनार्थ / अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर एतद्द्वारा प्रेषित है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप में वर्णित दिशा—निर्देशों के अनुसार छात्र / छात्राओं की परीक्षा कराये जाने / प्रमोशन किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। प्रमोशन से सम्बन्धित छात्र / छात्राओं का परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र घोषित कर दिया जायेगा।

तत्क्रम में आपसे अनुरोध है कि शैक्षणिक सत्र नियमित रखने के उद्देश्य से संलग्न कार्यालय—ज्ञाप में वर्णित दिशा—निर्देशों में अनुसार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्र / छात्राओं को अगली कक्षा में इस शर्त के साथ **अस्थाई प्रवेश** दे दिया जाय कि विश्वविद्यालय द्वारा जब उक्त अस्थाई प्रवेशित छात्र / छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा तो घोषित परिणाम उन्हें मान्य होगा एवं तद्नुसार उनके कक्षा आवंटन की कार्यवाही सम्पादित किया जाना समीचीन होगा।

भवदीय,

संलग्नक—यथोपरि,

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय)।
2. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. वैय0 सहायक, कुलसचिव / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(एस.एल. पाल)
उपकुलसचिव(परीक्षा)

Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2585280
Web: www.kanpuruniversity.org
e-mail I.D.-coe@kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2581280	2584280
REGI.:	2580044	2580281
Office :		

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/443/2020

दिनांक :26/08/2020

कार्यालय-ज्ञाप

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.08.2020 के विनिश्चय संख्या–01 में "सत्र 2019–20 की दिनांक–18 मार्च, 2020 से स्थगित (अवशेष) स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन एवं यू0जी0सी0 द्वारा प्रेषित मार्गदर्शी गाइडलाइन(परीक्षा सम्पन्न कराने/प्रोन्नति सम्बन्धी) के कियान्वयन हेतु मा0 कुलपति महोदया द्वारा गठित समिति की कार्ययोजना/संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार" बिन्दु के कम में समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया।

कोविड–19 की महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर यू0जी0सी0 एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में कतिपय मागर्दर्शी गाइडलाइन एवं विकल्प प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय की परिस्थितियों एवं छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

तद्कम में विश्वविद्यालय स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने हेतु मा0 कुलपति महोदया द्वारा एक वृहद समिति का गठन किया गया। गठित समिति की बैठक दिनांक 11.08.2020 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में सम्पन्न हुई। समिति द्वारा यू0जी0सी0, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में परीक्षा सम्पन्न कराने/प्रोन्नति सम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजना को परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आंशिक संशोधनों सहित निम्नवत् अंगीकृत किया गया :–

I. कोविड–19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर/एकवर्षीय पाठ्यक्रम को छोड़कर अवशेष परीक्षाएँ स्थगित रहेंगी।

II. विश्वविद्यालय की सत्र 2019–20 की मुख्य परीक्षाएँ, दिनांक–25 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होकर, दिनांक–17 मार्च, 2020 तक ही सम्पन्न हो पायीं थीं, कि कोविड–19 महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन एवं शासनादेश के अनुसार आगे की परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। अतः जिन कक्षाओं की कतिपय परीक्षाएँ(सैद्वान्तिक & प्रायोगिक) लाकडाउन के पूर्व सम्पन्न करायी जा चुकी हैं, उनसे सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाएँ मूल्यांकित कराकर उनके अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित कराये जाने संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

III. सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं (अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर को छोड़कर) के ऐसे छात्र/छात्राएँ जो लॉकडाउन, दिनांक–18 मार्च, 2020 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिये अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष/अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाय तथा उनकी अवशेष परीक्षाएँ स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र/छात्राएँ, जो पूर्व में सम्पादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार बैक पेपर के लिये भी अर्ह नहीं हैं तथा अनुत्तीर्ण हैं, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाय।

कमशः पृष्ठ ...2..

FAX: 0512-2585280
Web: www.kanpuruniversity.org
e-mail I.D.-coe@kanpuruniversity.org

V.C.: 2581280 2584280
REGI.: 2580044 2580281
Office :

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/443/2020

दिनांक : 26/08/2020

IV. विभिन्न संकायों/कक्षाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर (अन्तिम वर्ष को छोड़कर) के ऐसे छात्र/छात्रायें, जिनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ प्रारम्भ ही नहीं हो सकी हैं, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाय तथा वर्ष 2021 (अगली कक्षा) में सम्पन्न परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्ष 2020 की कक्षा में विषयवार/प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक प्रदान कर दिये जॉय। ऐसे छात्र/छात्राऐं, जिनकी स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं, उनको तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाये तथा प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर द्वितीय वर्ष में विषयवार/प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक प्रदान कर दिये जाँय। यदि वर्ष 2021 की परीक्षा में कोई छात्र/छात्रा अगर अनुत्तीर्ण होता है, तो वह वर्ष 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके परिणाम के आधार पर ही उसके विगत कक्षा (वर्ष 2020 से सम्बन्धित) के विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।

V. कोविड–19 महामारी से बचाव के लिये निर्धारित प्रोटोकाल/दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुये अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर/एकवर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षाएँ, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ऑफलाइन सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

VI. किन्हीं कारणोंवश यदि कोई छात्र/छात्रा अन्तिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र/छात्रा को उस कोर्स/प्रश्नपत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये विश्वविद्यालय की सुविधानुसार केवल चालू शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिये केवल एक बार विशेष अवसर दिये जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य में विचार कर सकता है।

VII. समस्त संकायों के स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र/छात्राऐं जो उपरोक्त प्रस्तर–iii की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जायेंगे, वे छात्र/छात्राऐं सत्र 2020–21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अर्न्तगत यदि ये सभी विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण पाये जायेंगे, तो इनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी है।

VIII. समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र/छात्राऐं, जो उपरोक्त प्रस्तर– iii की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जायेंगे, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसम्बर, 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांको का औसत अंक ही उसके द्वितीय सेमेस्टर, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नही हो सकी है, के अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।

IX. यदि वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र/छात्रा कुछ विषय/विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर परीक्षा के अर्ह पाया जाता है, तो इस छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण किये गये समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमे वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी।

क्रमशः पृष्ठ ...3..

FAX: 0512-2585280
Web: www.kanpuruniversity.org
e-mail I.D.-coe@kanpuruniversity.org

V.C. : 2581280 2584280
REGI. : 2580044 2580281
Office :

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/443 /2020

दिनांक : 26 /08/2020

X. यदि कोई छात्र/छात्रा वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह वर्ष 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त प्रस्तर– vi के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें वर्ष 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी है।

XI. उपरोक्त के अलावा AICTE, M.C.I, B.C.I., N.C.T.E तथा P.C.I., आदि Governing Body के अधीन संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त संस्थाओं द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश प्रभावी होंगें।

XII. समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कार्ययोजना में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह तथ्य भी जोड़ा गया किया कि जो छात्र/छात्राऐं अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के उपरान्त अपने प्रोन्नयन से सन्तुष्ट नहीं होंगे, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर विशेष परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा में प्रति विषय एक प्रश्नपत्र में बैक पेपर देने की अनुमति तथा परास्नातक परीक्षा में दो प्रश्नपत्रों में विशेष परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा कराने/प्रमोट करने सम्बन्धी उपरोक्त i से xii बिन्दुओं के अनुसार विश्वविद्यालय की सत्र 2019–20 की परीक्षाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्णय को कियान्वित किए जाने के आदेश एतदद्वारा निर्गत किए जाते हैं।

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, विश्वविद्यालय परिसर स्थित संस्थान।
2. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
3. उपकुलसचिव, कोडिंग विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने/प्रमोशन के सम्बन्ध में प्रभारी, कोडिंग विभाग से सामंजस्य स्थापित करते हुए तदनुकम में आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अतिगोपनीय/सेमेस्टर ।
7. वैय0 सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
8. सम्बन्धित पत्रावली।।

(एस0एल0 पाल)
उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)